संख्या 290 (1)/44-2-11च स /90,

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/बीडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 1990

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र में जनशक्ति नियोजन-पदों का सृजन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14-12-79 के प्रस्तर-10 में सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियाँ आदि के शीर्ष पदों के सृजन के लिये सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन एक सृजन समिति का गठन किया गया है। उक्त शासनादेशों, जहां तक उनका संबंध सार्वजनिक उपक्रमों आदि में शीर्ष पदों के सृजन से है, के आंशिक संशोधन में सृजन समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च

1. शासनादेश सं0 5195/ब्यूरो-2-2(45)/79, दि0 14-12-79
2. " सं0 1125/ब्यूरो-2-2(45)-79, दि0 9-2-81
3. " सं0 5943/ब्यूरो-2-(45)/1975, दि0 26-9-81
4. " सं0 306/44-2-उ0वे0रि0 283, दि0 13-10-83
5. " सं0 62/44-2-55/1983, दि0 19-1-95
6. " सं0 198/44-2-16/च0स0/86, दि0 6-2-87
7. " सं0 695/44-2-16/च0स0/87, दि0 6-5-87
8. " सं0 1184/44-2-14/च0स0/87, दि0 30-11-87

कार्यकारी, तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदों के सृजन के लिये उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत गठित सृजन समिति के कार्यक्षेत्र को समता समिति की संस्तुतियों के फलस्वरूप दिनांक । जनवरी, ।986 से लागू नये वेतनमानों में संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय यह निर्देश देते हैं कि नये वेतनमानों में सृजन समिति के कार्यक्षेत्र में वही पद आयेंगे जिनके नये वेतनमानों की अधिकतम सीमा रु0 5300/- से अधिक है।

2- मुझसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों में विभिन्न पदों के सृजन के लिए पूर्वोक्त शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन ऐसे समस्त पद, जिनके वेतनमानों की अधिकतम सीमा रु0 ।400/- या उससे कम है, के सृजन के लिए प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम विभाग को अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भेजा जायेगा और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त सचिव/मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। ऐसे पद जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 4000/- से अधिक तथा रु0 5300/- तक है, के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त सचिव/मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त किये जायेंगे। सृजन समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों अर्थात जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 5300/- से अधिक है, के सृजन के लिए सृजन समिति की संस्तुतियों पर प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त मंत्री जी/मुख्य मंत्री जी की अनुमति के बाद ही पदों का सृजन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 30.।।.।987 के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरे जाने तथा नये पदों के सृजन के लिए लगायी गयी अन्य शर्तें तथा प्रतिबन्ध पूर्ववत् लागू रहेंगे।

4- कृपया उक्त सीमा तक पूर्वोक्त शासनादेशों को संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या 290 (।)/44-2-।।च स /90, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(।) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
विशेष सचिव।